सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0
7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001
Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in, Website: socialauditup.in

पत्रांकः 484/सो.आ.नि.– 312/2016
दिनाँकः 14 अक्टूबर, 2016

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला विकास अधिकारी,
(गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, बस्ती, मऊ तथा कासगंज को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश।

विषयः सोशल आडिट ग्रामसभा सम्पन्न होने के 5 दिनों के अन्दर सोशल आडिट प्रतिवेदन को भारत सरकार तथा निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना।

महोदय,

कृपया वित्तीय वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायतों के सोशल आडिट का कार्य प्रगति पर है। इस संबंध में आपका ध्यान भारत सरकार के निर्देश की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें कहा गया है कि सोशल आडिट ग्रामसभा संपन्न होने के 5 दिनों के अंतर्गत सोशल आडिट प्रतिवेदन को भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। "सोशल आडिट के निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ" को राज्य सरकार की वेबसाइट पर साथ ही साथ अपलोड किया जाना है।

2. सोशल आडिट संपन्न होने के 5 दिनों के अंदर सोशल आडिट प्रतिवेदनों को भारत सरकार तथा निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना अपेक्षित है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2015–16 में भारत सरकार की वेबसाइट पर परिवर्तित किए गए सोशल आडिट प्रतिवदेनों को अपलोड करने का व्यवहारिक अनुभव DSACs को प्राप्त हो चुका है। चालू वित्तीय वर्ष में कतिपय जनपदों को छोड़कर शेष जनपदों में अपलोड की कार्यवाही प्रगति पर है, किन्तु कतिपय जनपदों में इस कार्य में ढिलाई बरती जा रही है। समीक्षा कर ली जाए यदि जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर द्वारा अपलोडिंग में रुचि न ली जा रही हो, तो वैकल्पिक व्यवस्था कर 5 दिनों के अंदर सोशल आडिट प्रतिवेदनों को भारत सरकार/निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने की व्यवस्था कर ली जाए। इस हेतु प्रति सोशल आडिट अपलोड करने के लिए रु0 50/– प्रोत्साहन राशि अपलोड करने वाले व्यक्ति को अनुमन्य होगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त स्थिति में सुनिश्चित करें कि सोशल आडिट ग्रामसभा सम्पन्न होने के 5 दिन के अंदर सोशल आडिट प्रतिवेदनों को भारत सरकार/निदेशालय की वेबसाइट पर अवश्य अपलोड कर दिया जाय।

भवदीय,

(राजवर्धन)
निदेशक।